न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-367/2020

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

मो0 सलमान उर्फ हलीम, पिता-मो0 दबीर,

सा0-गदहकाट, वार्ड नं0-11, थाना-सिकटी, जिला-अररिया

(बजाज सी0टी0-100 मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR38M-6811,

चेचिस संख्या-MD2A18AZ3GPH34174,

ईंजन संख्या-DUZPGH89527 के मालिक).....................................विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
01.04.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 525/हि0शा0, दिनांक 01.03.2020) के आलोक में सिकटी थाना कांड सं0-14/20, दिनांक-12.01.2020, धारा-30(क)/37(ग) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त बजाज सी0टी0-100 मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR38M-6811, चेचिस संख्या-MD2A18AZ3GPH34174, ईंजन संख्या-DUZPGH89527 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु विपक्षी के विरूद्ध प्रारम्भ की गई। विपक्षी को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। सूचना का तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध है। सूचना प्राप्ति के बावजूद विपक्षी उपस्थित नहीं हुये। विपक्षी वाहन मालिक को हर्जाना मो0-50/-रू0 अधिरोपित करते हुए अंतिम मौका भी दिया जा चुका है। बावजूद विपक्षी की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रुचि नहीं है। (2) विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 525/हि0शा0, दिनांक 01.03.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का कहना है कि पुलिस अवर निरीक्षक, सिकटी थाना द्वारा दिनांक 12.01.2020 को पेट्रोलिंग के क्रम में समय करीब 11:45 बजे गदहकाट स्थित टावर के पास मोटर साईकिल की तलाशी वहाँ उपस्थित दो स्वतंत्र गवाह-1. मो0 शकीम आलम, पिता-मो0 साबीर, सा0-गदहकाट, वार्ड नं0-09 एवं 2. मो0 जाबुल, पिता-मो0 दबीर, सा0-गदहकाट, वार्ड नं0-11, थाना-सिकटी, जिला-अररिया के समक्ष ली गई। तलाशी के क्रम में मोटर साईकिल पर बंधा हुआ एक बोरा से कुल-56 बोतल (प्रत्येक बोतल 300 मिली लीटर) कुल-16.800 लीटर नेपाली शराब बरामद किया गया। बरामद शराब एवं मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR38M-6811, चेसीस संख्या-MD2A18AJ3GPH34174, ईंजन संख्या-DUZPGH89527 को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। बिना किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति, परमिट अथवा पास के बिना किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, कब्जा, क्रय, विक्रय, वितरण, संग्रहण, बोतल बंद, आयात, निर्यात, परिवहन करना अथवा दूर हटाना, शराब का उपभोग आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षी के विरूद्ध सिकटी थाना कांड सं0-14/20, दिनांक-12.01.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया।	

अधिहरण वाद संख्या-367/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
01.04.2021	विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय। (4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR38M-6811, चेचिस संख्या-MD2A18AZ3GPH34174, ईंजन संख्या-DUZPGH89527 का उपयोग अवैध शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल का कोई दावेदार नहीं है। जब्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या- BR38M-6811 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार **सिकटी थाना कांड सं0-14/20, दिनांक-12.01.2020, धारा-30(क)/37(ग) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 में जब्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR38M-6811, चेचिस संख्या-MD2A18AZ3GPH34174, ईंजन संख्या-DUZPGH89527 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें। विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया 01/04 समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 1022/विधि, अररिया, दिनांक 8.4.2021 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। समाहर्त्ता, अररिया (मुहर: न्यायालय जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अररिया, बिहार)	